(56)

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

संख्या 428/सात-1/138-ख/04

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 14 फरवरी, 2005

विषय: भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी में 204 है0, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी में 64 है0 व चकराता वन प्रभाग कालसी में 81.86 है0 के आरक्षित वन क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा दी गई उप खनिजों के चुगान/ खुदान हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2031/22-1, दिनांक 17-05-2004 एवं 1611(1)/22-1, दिनांक 29-1-2005 के साथ संलग्न वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र, दिनांक 20-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अधीन दी गयी उप खनिजों के खुदान/चुगान की अनुमति के अनुपालन में भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी में 204 है0 मसूरी वन प्रभाग मसूरी में 64 है0 एवं चकराता वन प्रभाग कालसी में 81.86 है0 आरक्षित वन क्षेत्रों में उत्तरांचल वन विकास निगम,देहरादून को चुगान/खुदान कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 428/सात-1/138-ख/04 दिनांकित:

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

[illegible] वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त [illegible] देहरादून।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। दिनांक 3-3-05

(1) प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून
(2) वन संरक्षक, [illegible] वृत्त, देहरादून।
(3) प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी
(4) प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता। मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

छाया प्रति प्रेषित
कृपया [illegible] आदेश

03/03/05
([illegible])

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तरांचल वन विकास निगम,
खनन प्रभाग, देहरादून